न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 113/2017
दायर दिनांक – 15/10/2012
निर्णय दिनांक – 12/04/2018

अनवान

1. गोवर्द्धन लाल पिता मोहन लाल टांक निवासी व तह0 रेलमगरा
2. सुखलाल पिता मोहनलाल टांक निवासी व तह0 रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय राजसमन्द
2. राजस्थान राज जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा
3. भैरूलाल पिता प्रताप जाट निवासी व तहसील रेलमगरा
4. श्रीमति रामनारायणी पिता कनकमल महाजन निवासी व तहसील रेलमगरा
5. गनी मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद निवासी व तहसील रेलमगरा
6. रहमतीबाई विधवा शफी मोहम्मद निवासी व तहसील रेलमगरा
7. मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, उदयपुर शाखा रेलमगरा जरिये महामंत्री चतरसिंह पिता माधवसिंह राजावत निवासी राजपुरा तहसील रेलमगरा
8. चतरसिंह पिता माधवसिंह राजावत निवासी राजपुरा तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत सही इन्द्राज कराने व स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् सही इन्द्राज कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की आराजी संख्या 2592 क्षेत्रपाल 35 बीघा 2 बिस्वा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार ग्राम रेलमगरा में स्थित है। आराजी संख्या 2592 के पश्चिम दिशा में प्रतिवादी भैरूलाल के खातेदारी की आराजी संख्या 2591 वर्तमान जमाबंदी के अनुसार क्षेत्रफल 6 बीघा 13 बिस्वा स्थित है जिसमें से 4 बीघा भूमि भैरूलाल ने प्रतिवादी संख्या 7,8 को विक्रय कर दिया गया। आराजी संख्या 2591 गतभूमाप की आराजी संख्या 1844 का क्षेत्रफल 4 बीघा 13 बिस्वा था। गतभूमाप की चैन व वर्तमान भूमाप की चैन में परिवर्तन के अनुसार गत भूमाप की आराजी संख्या 1844 क्षेत्रफल 4 बीघा 13 बिस्वा का नवीन क्षेत्रफल 6 बीघा 1 बिस्वा ही बनना चाहिये था जबकि वर्तमान नक्शे व जमाबंदी में 12 बिस्वा क्षेत्रफल आराजी संख्या 2591 में मिला दिया गया। जबकि मौके पर आराजी संख्या 2591 में मिला दिया गया। जबकि मौके पर आराजी संख्या 2592 के खातेदार गत भूमाप के रकबे व नक्शे के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अनुसार ही काबिज चले आ रहे है। सेटलमेनट विभाग को गत भूमाप के नक्शे व क्षेत्रफल के अनुसार ही नवील अंकन को दोहराना चाहिये था। पैमाइश विभाग को नक्शे व जमाबंदी में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। गत भूमाप की आराजी संख्या 1845 क्षेत्रफल 68 बीघा 10 बिस्वा था जिसकी नवीन आराजी 2592, 2588,2589,2587 एवं 2590 बनाई गयी जिनका कुल क्षेत्रफल 81 बीघा 10 बिस्वा बनाया गया है जबकि नवीन आराजियात का क्षेत्रफल 88 बीघा 12 बिस्वा बनना चाहिये था। इस प्रकार सेटलमेन्ट ने क्षेत्रफल नवीन जमाबंदी में एंव नक्शे में कमी इन्द्राज किया गया। इस प्रकार सेटलमैन्ट विभाग के द्वारा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि का क्षेत्रफल नवीन आराजीयात में कमी कर दी गई। ऐसा कमी अंकन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान आराजी संख्या 2591 की जमाबंदी व नक्शे में 12 बिस्वा क्षेत्रफल अधिक बढ़ा दिया गया एंव उक्त क्षेत्रफल आराजी संख्या 2592 में कमी कर दी गई। वर्तमान नक्शे के अनुसार आराजी संख्या 2591 की पूर्व दिशा में नक्शे में 12 बिस्वा क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया, गत भूमाप व वर्तमान नक्शे को एकसाथ मिलाने अर्थात् कम्पाइलेशन करने में आराजी संख्या 2591 के नक्शं में 12 बिस्वा क्षेत्रफल अधिक अंकन करने का अन्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रतिवादी तहसीलदार रेलमगरा द्वारा दिनांक 19.4.2010 को अन्य प्रकरण की कार्यवाही में स्थल निरीक्षण किया गया । जिसमें भी अंकन किया गया कि आराजी संख्या 2592 के खातेदार का कब्जा आराजी संख्या 2591 की आराजी में बढकर किया हुआ है। अर्थात निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि आराजी संख्या 2592 के खातेदार मोके पर गत भूमाप के नक्शे के अनुसार काबीज चले आ रहे है। वादीगण की ओर से दिनांक 25.6.2012 को एक पंजीकृत सूचना पत्र प्रतिवादी गण संख्या 1 व 2 को दिया गया। जिसमें दो माह के भीतर आराजी संख्या 2991 के नक्शे व जमाबन्दी में 12 बिस्वा भूमि का क्षेत्रफल कमकर आराजी संख्या 2592 के नक्शे में जमाबन्दी में बढाये जाने पर सूचित किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा आराजी संख्या 2592 के नक्शे व जमाबन्दी में कोई क्षेत्रफल नहीं बढाया गया। एवं न ही आराजी संख्या 2591 के नक्शे व जमाबन्दी में 12 बिस्वा की कमी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को धारा 80 के तहत सूचना पत्र की अवधि भी माह अगस्त में समाप्त हो गई इसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा सही अंकन करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादी बनाया गया । राजकीय अभीलेख नक्शा व जमाबन्दी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नियंत्रण व कब्जे में रहते है। एवं बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सही अंकन कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को पंजीकृत सूचना पत्र दिनाक 27.6. 2012 एवं 28.06.2012 को प्राप्त हो गये जिस बाबत पावती रसीद वाद पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। वादीगण का वाद हेतु दिनांक 28.8.2012 को सूचना पत्र की प्राप्ती से 2 माह की अवधि के उपरान्त होने पर भी न तो जबाब प्रेषित किया गया न ही जमाबन्दी में सही अंकन किया गया । जिससे वादीगण का वाद हेतु दिनांक 28.08.2012 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। एवं दिनांक 28.06.2012 को विपक्षी भैरूलाल को भी सही अंकन कराने को कहा गया। तो उसने इंकार कर दिया जिससे वादपत्र का हेतु उक्त दिनांक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। आराजी संख्या 2591 का खातेदार प्रतिवादी भैरूलाल है जिससे उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिवादी बनाया गया है तथा मुख्य

21

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादीगण अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहे है।

अतः वादीगण का वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा स्थित प्रतिवादी भैरूलाल की आराजी संख्या 2591 की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस मे 12 बिस्वा का अंकन कमी किया जाकर आराजी संख्या 2592 के नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में सही अंकन के रूप में क्षेत्रफल 12 बिस्वा बढाये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 113/2017

अनवान

वादी पक्ष :–

1. गोवर्द्धन लाल पिता मोहन लाल टांक निवासी व तह0 रेलमगरा
2. सुखलाल पिता मोहनलाल टांक निवासी व तह0 रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा
3. भैरूलाल पिता प्रताप जाट निवासी व तह0 रेलमगरा
4. रामनारायणी पिता कनकमल महाजन निवासी व तह0 रेलमगरा
5. गनी मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद निवासी व तह0 रेलमगरा
6. रहमती बाई विधवा शफी मोहम्मद निवासी व तह0 रेलमगरा
7. मेवाड क्षत्रिय महासभा उदयपुर शाखा रेलमगरा जरिये महामंत्री चतरसिंह पिता माधव सिंह राजावत निवासी राजपुरा तह0 रेलमगरा
8. चतर सिंह पिता माधव सिंह राजावत निवासी राजपुरा तह0 रेलमगरा

दावा :– इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से :– चावण्ड सिंह शक्तावत
प्रतिवादी की ओर से :– एन0एस0राणावत

में इस आशय मे दिनांक 12/04/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा स्थित प्रतिवादी भैरूलाल की आराजी संख्या 2591 की जमाबन्दी एव नक्शा ट्रेस मे 12 बिस्वा का अंकन कमी किया जाकर आराजी संख्या 2592 के नक्शा ट्रेस व जमाबंदी मे सही अंकन के रूप मे क्षेत्रफल 12 बिस्वा बढाये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 12/04/2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा